# न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी अरविन्द कुमार जाखड़ आर ए एस

राजस्व अपील / 223 / रा.का.अधि. / 13 / 2021 / बाड़मेर

अपीलांट

1. गम्भीरसिंह पुत्र किशनसिंह
2. नखतसिंह पुत्र अर्जुनसिंह
3. पदमकंवर पत्नी अमरसिंह
4. सवलसिंह पुत्र किशनसिंह
5. दिलीपसिंह पुत्र सादूलसिंह

जाति राजपूत निवासीयान सदरासर, सांकडा तहसील पोकरण जिला जैसलमेर

रेस्पोडेंटगण

बनाम 1.फॉरटर्म सोलर प्लस प्रा.लि. जरिये अधिकृत प्रतिनिधि श्रीकृष्ण शर्मा पुत्र श्री रामअवतार जाति शर्मा ब्राहमण निवासी वंदना बिल्डिंग टलस्टॉय मार्ग–11 नई दिल्ली

2.कुशलसिंह पुत्र किशनसिंह

3.नरपतसिंह पुत्र केसरसिंह

4.भानसिंह पुत्र केसरसिंह

5.हुकमसिंह पुत्र अमानसिंह का.मु.

5 / 1लुणसिंह पुत्र हुकमसिंह

5 / 2दीपसिंह पुत्र हुकमसिंह

5 / 3नीम्बसिंह पुत्र हुकमसिंह

6.हवाकंवर पत्नी उतमसिंह

7.भूरसिंह पुत्र उगमसिंह

8.भीमसिंह पुत्र गोमसिंह

9.पुष्पेन्द्रसिंह पुत्र इन्द्रसिंह

10.धनपतसिंह पुत्र मानसिंह

11.कमलाकंवर पत्नी सार्दुलसिंह

12.लुणसिंह पुत्र उतमसिंह

13.जयमलसिंह पुत्र उतमसिंह

14.इन्द्रकंवर पत्नी उतमसिंह

15.शक्तिकंवर पत्नी विक्रमादित्यसिंह

16.हितेन्द्रसिंह पुत्र विक्रमादित्यसिंह

17.खुशबू पुत्री विक्रमादित्यसिंह

18.प्रयागसिंह पुत्र पहाड़सिंह

19.रघुवीरसिंह पुत्र कुशलसिंह

20.राजेन्द्रसिंह पुत्र कुशलसिंह

21.नखतुकंवर पत्नी कुशलसिंह

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

22.रामसिंह पुत्र गोरधनसिंह
23.अनाडसिंह पुत्र गोरधनसिंह
24.ज्ञानसिंह पुत्र गोरधनसिंह
25.जालमसिंह पुत्र गोरधनसिंह
26.भीमसिंह पुत्र गोरधनसिंह का.मु.
26/1कंवरोंकंवर पत्नी भीमसिंह
26/2आवडसिंह पुत्र भीमसिंह
27.कंवरोकंवर पत्नी गोरधनसिंह
जातियान राजपूत निवासीयान सदरासर
सांकड़ा तहसील पोकरण जिला बाड़मेर
28.राजस्थान राज्य सरकार जरिये भूमि
तहसीलदार पोकरण जिला जैसलमेर

**अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर पोकरण द्वारा राजस्व वाद संख्या 72/2020 बअनवान फॉरटर्म सोलर प्लस प्रा.लि. बनाम कुशलसिंह वगै. में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 25.06.2021 के विरूद्व पेश हुई।**

**उपस्थिति**

1. वकील श्री बांकाराम चौधरी अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री अरपन बहल, श्री पृथ्वी रेस्पोडेंट की ओर से।

## निर्णय

**दिनांकः— 11.10.2021**

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादी एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी की भूमि ग्राम सदरासर पटवार क्षेत्र सांकड़ा तहसील पोकरण जिला जैसलमेर में खसरा संख्या 458 रकबा 68.04 बीघा, खसरा संख्या 458/1047 रकबा 182.04 बीघा, खसरा संख्या 458/1034 रकबा 22.18 बीघा जो जरिये शुद्धि पत्र क्रमांक संख्या 01 स्वीकृत दिनांक 06.12.2019 के अनुसार एकीकरण होने पर वर्तमान नया खाता संख्या 34 खसरा संख्या 458 रकबा 273.06 बीघा किस्म बारानी—तीन लगान 8.53 की भूमि आई हुई है। जिसमें से वादी ने सहखातेदारान ने वाद वर्णितानुसार कुल 184.7144 बीघा भूमि खरीद की गई थी। उक्त भूमि वाद पत्र में प्रदर्शित (क) की वादी की व प्रतिवादीगण के परिशिष्ट (ख) के अनुसार भूमि को बाई मीटस एण्ड बाउण्ड बंटवाड़ा करवाने बाबत वाद पेश किया। अपीलाधीन निर्णय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा एकपक्षीय रूप से पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय जिस विभाजन प्रस्ताव को ध्यान में रखते हुए

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

पारित किया गया वो एकपक्षीय रूप से तैयार किया गया। तहसीलदार स्वयं द्वारा मौका मुआवयना नहीं किया गया। विभाजन प्रस्ताव तैयार करते समय राजस्व मण्डल के नियम 18 से 21 की पालना नहीं की गई। अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित की गई जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ होने से काबिल निरस्त योग्य है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। दोनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट के नाम हस्तगत प्रकरण में जारी सम्मनों पर व्यक्तिगत रूप से तामील नहीं करवाये गये। अपीलांट संख्या 02 का नाम प्रतिवादी संख्या 04 पर नखतसिंह पुत्र लखसिंह दर्ज किया गया है तथा इसी नाम से सम्मन जारी किया गया जबकि अपीलांट संख्या 02 का रेकर्ड के अनुसार सही नाम नखतसिंह पुत्र अर्जुनसिंह है, तथा इसी प्रकार अपीलांट संख्या 03 पदमकंवर की वल्दियत भी अमरसिंह के स्थान पर किशनसिंह अंकित की गई है तथा बाद में तामिल कुन्निदा के साथ मिलीभगत करते हुऐ सही ढंग से तामिल नहीं करवाया गया। अपीलांट संख्या 02 नखतसिंह से विधिवत तामील नहीं हुई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री अपीलांटगण की अनुपस्थिति में एकपक्षीय रूप से पारित की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रारम्भिक डिक्री की पालना में तहसीलदार पोकरण को विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु अधिकृत किया गया था परन्तु तहसीलदार पोकरण द्वारा वादग्रस्त खेतों पर जाये बिना पटवारी हल्का व आर आई के मार्फत उक्त विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु निर्देशित किया जिस पर पटवारी हल्का द्वारा उतरदाता/वादीगण के प्रभाव में आकर कब्जा काश्त के विपरीत विभाजन प्रस्ताव तैयार कर अधीनस्थ न्यायालय पेश किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण को विभाजन प्रस्ताव पर अपनी आपतियां पेश करने देने का अवसर दिये बिना ही एकतरफा रूप से अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई। अपीलांटगण को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ है। अपीलांट को सुने बिना निर्णय पारित किया गया है। राजस्थान टिनेन्सी (राजस्व मण्डल) 1955 के नियम 18 से 21 की पालना नहीं की गई है तथा तहसीलदार बाड़मेर द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में पेश विभाजन प्रस्ताव मौके के प्रतिकूल बनाकर अधीनस्थ न्यायाल में पेश किया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह बंटवारा By Metes & Bound सिद्धांत के आधार पर नहीं किया गया है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खारिज फरमाया जावे।

वकील रेस्पोडेंट ने अपनी बहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण को सुनवाई का समुचित अवसार दिया गया। अपीलांट संख्या 01, 3 से 5 द्वारा सम्मन प्राप्त होने पर अपनी ओर से पैरवी करने हेतु अधिवक्ता कुम्पसिंह को नियुक्त किया जिसने अपीलांटरा की तरफ से दिनांक 19.10.2020 को वकालतनामा पेश किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जिस विभाजन प्रस्ताव के आधार अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है विधि सम्मत है जिसमें किसी तरह की कमी नहीं हैं तथा विभाजन प्रस्ताव मौके पर पक्षकारान के कब्जा काश्त अनुसार सही है। अपीलांट द्वारा उतरदाता को नाहक तंग व परेशान करने की नियत से गलत रूप से अपील पेश की गई है जबकि अधीनस्थ न्यायालय ने वादग्रस्त भूमि की सही विधिवत हिस्से अनुसार घोषणा कर बंटवाड़ा किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय By Metes & Bounds सिद्धांत के आधार पर पारित किया गया है और सहखातेदारों के मध्य विभाजन बराबर–बराबर किया गया है। किसी का हिस्सा कम–ज्यादा नहीं किया गया इसलिए अपीलांट की अपील खारिज फरमायी जावे।

पत्रावली का अवलोकन व अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन करने के पश्चात यह तथ्य प्रकट हुआ कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया प्रतीत होता है। अपीलांट संख्या 02 का रेकर्ड के अनुसार सही नाम नखतसिंह पुत्र अर्जुनसिंह है, तथा इसी प्रकार अपीलांट संख्या 03 पदमकंवर की वल्दियत भी अमरसिंह के स्थान पर किशनसिंह अंकित की गई तथा तथा गलत नाम व वल्दियत के आधार पर सम्मन जारी किये गये। जिससे यह साफ जाहिर होता है कि नोटिसों पर अपीलांट को व्यक्तिगत रूप से तामील नहीं करवाया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा हस्तगत वाद में एकपक्षीय निर्णय व डिक्री पारित की गई जो विधि की मंशा के विरूद्ध है। अपीलाधीन निर्णय व डिक्री एकपक्षीय पारित की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्राथमिक डिक्री दिनांक 09.04.2021 की पालना में प्राप्त विभाजन प्रस्ताव तैयार करते वक्त राजस्थान टिनेन्सी (सरकारी) नियम 1955 के नियम 20 से 21 की पालना नहीं की गई है तथा मौका रिपोर्ट का मजमून ही साबित कर देता है कि <u>हस्तगत विभाजन प्रस्ताव को तैयार करने से पूर्व उभयपक्षकारान को किसी भी प्रकार की सूचना/नोटिस मौके पर उपस्थित रहने बाबत नहीं दिया गया।</u> अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जिस विभाजन प्रस्ताव को ध्यान में

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

रखते हुए अंतिम डिक्री पारित की गई उक्त मौका विभाजन प्रस्ताद पर किसी भी पक्षकारान के हस्ताक्षार/अंगुष्ठ निशान नहीं है। बंटवारा By Metes & Bounds सिद्धांत के आधार पर नहीं किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण को सुनवाई का समुचित एवं साक्ष्य सबूत पेश करने का अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय एकपक्षीय पारित किया गया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के खिलाफ है। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांट की अपील रिमाण्ड करने योग्य है।

अतः अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर पोकरण द्वारा राजस्व वाद संख्या 72/2020 बअनवान फॉरटर्न सोलर प्लस प्रा.लि. बनाम कुशलसिंह वगै. में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 25.06.2021 को अपास्त किया जाकर मामला अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलीय न्यायालय के आदेश की अक्षरस पालना करते हुए उभयपक्षकारान को सुनवाई समुचित का मौका दिया जाकर तहसीलदार स्वयं से मौका दिखवाकर नियमानुसार भूमि की गुणवता, स्थायी अलामात/कब्जे/मार्ग को मद्देनजर रखते हुए रखते हुए बाई मिटस एण्ड बाउंडस विभाजन प्रस्ताव प्राप्त कर गुणावगुण पर विधि सम्मत निर्णय पारित करे। अधीनस्थ न्यायालय हस्तगत वाद का निस्तारण वाद विचारण हेतु नियत संपूर्ण प्रक्रियागत कार्यवाही को पूर्ण करते हुए दो माह में गुणावगुण पर निर्णय पारित करे। उभयपक्षकारान अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 10.11.2021 को उपस्थित हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख नय निर्णय प्रति के उक्त दिनांक से पूर्व लौटाया जावे।

(अरविन्द कुमार जाखड़)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 11.10.2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर